दिनांक २८-१-१९९२ को ११ बजे पूर्वाह्न में हुई बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ३३७ वीं साधारण बैठक की कार्यवाही : -

---

सदस्यों की उपस्थिति : -

१- श्री महेन्द्र नारायण यादव, अध्यक्ष,

२- ,, ए० सन्तोष मैथ्यू, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी- सदस्य,

३- ,, अजीत कुमार सिंह, सदस्य,

४- ,, धर्मवीर सिंह, सदस्य,

५- ,, रूप नारायण ठाकुर, सदस्य,

६- ,, मथुरा प्रसाद सिंह, सदस्य,

विशेष आमंत्रण पर उपस्थिति : -

१- श्री वी०डी० गुप्ता, निदेशक, खादी ग्रामोद्योग कमीशन, राज्य निदेशालय, पटना।

२- ,, वी०एस०उपाध्याय, वित्तीय सलाहकार, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना।

-:- कार्यवाही -:-

१- गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि करना :-	गत बैठक के प्रस्ताव संख्या -११ को छोड़कर कार्यवाही की सम्पुष्टि की गई।
२- गत बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा:-	समीक्षा की गई।
३- बोर्ड के वित्तीय स्थिति की समीक्षा :-	बोर्ड के वित्तीय स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन भुगतान करने सम्बन्धी चर्चा हुई। वित्तीय सलाहकार ने बताया कि खादी कमीशन का ६० लाख रूपये मात्र उपलब्ध है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने उद्योग विभाग के पत्र सं० १६२४६ दिनांक २४-१०-८३ में निर्गत आदेश जिसके अन्तर्गत खादी कमीशन से प्राप्त धनराशि को प्रत्यावर्तित नहीं करने का आदेश है का ध्यान बोर्ड के सदस्यों की ओर आकृष्ट कराया। निर्णय लिया गया कि खादी कमीशन के इस रूपये उपलब्ध राशि से ३४ लाख रूपये तत्काल प्रत्यावर्तित कर ग्रौस वेतन अर्थात् भविष्य निधि के साथ दो महीने का वेतन भुगतान किया जाय। राज्य सरकार से राशि उपलब्ध होने पर उसे वापस कर दिया

--२

पाना अनिवार्य होगा। वेतन का भुगतान तत्काल पुनरीक्षित वेतनमान में किया जाय। वेतनमान के संबंध में राज्य सरकार का जो निदेश प्राप्त हुआ है उसके अनुसार उसकी समीक्षा कर बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये। वर्तमान वेतनमान में वेतन का भुगतान किये जाने के फलस्वरूप बोर्ड के पदाधिकारियों।कर्मचारियों का दावा इस वेतनमान का नहीं होगा ।

भविष्य निधि का बकाया राशि जो बैंक में अभी तक नहीं भेजा गया है उसे तीन बराबर किश्तों में भेजने का निर्णय लिया गया।

बोर्ड के बैंक लेखा का परिचालन बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्य लेखा पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभारी उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रभारी सहायक लेखा पदाधिकारी(कृपा)के हस्ताक्षर से करने का निर्णय लिया गया। लेखा पदाधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति का निर्णय जाँचोपरान्त लिया जाएगा। तदनुसार इस व्यवस्था से लेखा पदाधिकारी के पद का दावा सहायक लेखा पदाधिकारी(कृपा) का नहीं होगा।

* वेतनमान की समीक्षा [illegible]

४- श्री राम स्वरूप महतो सम्प्रति सेवा-निवृत्त विकास पदाधिकारी का भविष्य निधि में खादी कमीशन से बोर्ड को प्राप्त कुल राशि ५,६६४-५८(पाँच हजार छ: सौ चौंसठ रुपये और अनठावन पैसे)का सूद भुगतान करने के सम्बन्ध में :-

श्री राम स्वरूप महतो, सेवा-निवृत्त विकास पदाधिकारी के अंशदायी भविष्य निधि के अंशदान के मद ५,६६४-५८ पैसे का सूद की राशि ६,१८६-६८ पैसे का भुगतान की स्वीकृति दी गई ।

५- बोर्ड के विभागीय कुटीर दियासलाई केन्द्र एवं डिपो झुमरीतिलैया हजारीबाग के सम्बन्ध में :-

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को समीक्षा करने एवं निदान के लिए प्राधिकृत किया गया, तबतक वह जमीन बोर्ड के दखल में बनी रहेगी । [illegible]

६- श्री बिन्देश्वर सिंह, वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी की कार्य अक्षमता तथा दुराचरण के कारण बिहार सेवा संहिता के नियम ७४(क) के अधीन सेवा-निवृत्त करने की स्वीकृति देना :-

उक्त में वर्णित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

७- बोर्ड का कार्यालय स्वरूप एवं कार्य के आलोक में कर्मचारियों की संख्या पदनाम एवं वेतनमान निर्धारित करने के सम्बन्ध में -	निर्णय लिया गया कि पंजियार कमिटी के प्रतिवेदन और राज्य सरकार के पत्र के आलोक में विस्तृत जानकारी बोर्ड के समक्ष रखा जाये।
८- बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड देवघर के जिला कार्यालय परिसर में से एक एकड़ जमीन महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र देवघर को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में :-	निर्णय लिया गया कि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी स्वयं देवघर जाकर स्थिति की जानकारी के साथ बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखेंगे।
९- बोर्ड के ऐसे सेवकों जिनका प्रस्थापन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, वित्त विभाग बिहार सरकार के संकल्प सं० २७७२ दिनांक २-६-९० के प्रभाव से संशोधित दर से महंगाई भत्ता का भुगतान करने की घटनोत्तर स्वीकृति देना:-	स्वीकृत, परन्तु भविष्य में बिना बोर्ड के स्वीकृति लिये भुगतान नहीं किया जाये।
१०-बिहार सरकार वित्त विभाग के संकल्प सं० ३४२२ दि० २८-६-९१ के अनुसार बोर्ड के ऐसे सेवकों को जिनका प्रस्थापन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता हैं दिनांक १-१-१९९१ से संशोधित दर से महंगाई भत्ते का भुगतान करने की घटनोत्तर स्वीकृति देना :-	स्वीकृत।
११-बोर्ड द्वारा संचालित विभागीय केन्द्रों तथा उत्पादन सह बिक्री केन्द्रों के कर्मचारियों को पंचम वेतन का लाभ देने के संबंध में -	निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को खादी विकास समिति की बैठक में रखकर समीक्षा करने के बाद बोर्ड में प्रतिवेदन रखा जाये।
१२-बोर्ड द्वारा संचालित बिक्री भवन।खादी उत्पत्ति सह बिक्री केन्द्र एवं अन्य विभागीय केन्द्रों में दिनांक १-१-८६ से पंचम पुनरीक्षित वेतनमान संलग्न विवरणी के अनुसार लागू करने की घटनोत्तर स्वीकृति देने के सम्बन्ध में -	निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को खादी विकास समिति की बैठक में रखकर समीक्षा करने के बाद बोर्ड में प्रतिवेदन रखा जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि जो केन्द्र लगातार घाटे पर चल रहे हैं उन्हें बन्द करने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष लाया जाये। माननीय सदस्य श्री अजीत सिंह ने यह भी बताया कि जम्होर खादी सह उत्पादन केन्द्र में उत्पादन निमित्त कोई राशि नहीं दी गयी है जबकि वहाँ सूती चादर का उत्पादन काफी

पैमाने पर संभावना है । बोर्ड द्वारा प्रशिक्षित ३३ कत्तिन एवं अन्य ६० कत्तिन उपलब्ध हैं । अत: ग्रामीण विकास अभिकरण औरंगाबाद एवं बोर्ड के संयुक्त प्रयास से चादर का उत्पादन शुरू किया जा सकता है ।

१३- श्री बद्री नाथ दुर्जन, सेवा-निवृत्त जिला खादी कार्यकर्ता को जिनकी निलंबन अवधि दिनांक ६-१२-७८ से ३०-४-८० तक स्वीकृत बिना वेतन का असाधारण अवकाश के बदले सभी उद्देश्यों के लिये कार्यकाल मानने की स्वीकृति के संबंध में-	स्थगित।
१४- बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हुडको एवं अन्य वित्तीय स्थानों से हाउसिंग एण्ड अरबन डेवलपमेंट कारपोरेशन के माध्यम से गृह निर्माण अग्रिम की राशि प्राप्त करने के संबंध में -	स्थगित।
१५- श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, भूतपूर्व व्यवस्थापक, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग भवन, पटना के लिए स्वीकृत वेतनमान् ४००-६६० की भुगतान करने के संबंध में -	खादी विकास समिति के समीक्षा के बाद बोर्ड के समक्ष रखा जाये।
१६- वित्तीय वर्ष १९९१-९२ के संशोधित एवं वर्ष १९९२-९३ के प्रस्तावित प्रस्थापना व्यय की बजट की स्वीकृति देना-	स्वीकृत।
१७- बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यक्रम को जिला उद्योग केन्द्र के समग्र करने अर्थात् बोर्ड के जिला कार्यालय एवं जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी को महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के सम्पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण में करने की स्वीकृति देना :-	राज्य सरकार के आदेश को लागू किया जाये, परन्तु जिला खादी ग्रा०पदाधिकारी का गोपनीय अभ्युक्ति बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी लिखेंगे । इसके साथ-साथ यह भी निर्णय लिया गया कि बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को अपर उद्योग निदेशक की शक्ति प्रदान करने के लिए भी उद्योग विभाग को कहा जाये। इस निर्णय के आलोक में कार्य की समीक्षा तीन वर्षों के बाद बोर्ड के समक्ष पुनर्विचार हेतु रखा जाये।

बोर्ड के सीनियर पदाधिकारियों को वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं० १०६४ दिनांक १६-३-८१ के अनुसार सीनियर भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति देना:-	स्वीकृत, परन्तु इसका कार्यान्वयन राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने पर किया जायेगा।
खादी ग्रामोद्योग कमीशन, बंबई द्वारा निर्गत आर्थिक सहायता की पद्धति में सिद्धान्त ब्याज वसूली के लिए किये गये प्रावधान के समिति में समिति के गठन पर विचार -	संलेख में वर्णित प्रस्ताव स्वीकृत।
बगरी प्रमण्डल खादी केन्द्रित रचनात्मक सहयोग समिति लि०, मुजफ्फरपुर नया जिला सीतामढ़ी को साबुन उद्योग के मद में दी गई [illegible] की राशि का अपलिखित करने के संबंध में -	संलेख में वर्णित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
२१- गया शहर में स्थित घुघड़ी टांड महल्ला, पो० बांद बीरा, थाना-कोतवाली (गया) में बोर्ड द्वारा क्रय की गई जमीन की विक्रय करने के संबंध में -	निर्णय लिया गया कि माननीय सदस्य श्री उद्योत कुमार सिंह जाँच कर बोर्ड के समक्ष अपना प्रतिवेदन देंगे।
२२- फिल्म निर्माण के सम्बद्ध ~~कालकीक~~ वाक्लिस (स्क्रीप्ट) की प्रति बोर्ड में रखने के सम्बन्ध में -	स्थगित
सभापति की अनुमति से निम्नलिखित विषय पर निर्णय लिये गये :-	
(१)- वित्तीय वर्ष १९८४-८५ से वर्ष १९८६-८७ के वार्षिक चिट्ठा की घटनोत्तर स्वीकृति तथा वर्ष १९८७-८८ एवं १९८८-८९ के वार्षिक चिट्ठा की स्वीकृति देना:-	संलेख में वर्णित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
(२)- विभागीय उत्पादन सह बिक्री केन्द्र के लिए स्वीकृत कराई हेड की रकम से कारा विभाग की कच्चा की आपूर्ति करने के सम्बन्ध में -	संलेख में वर्णित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

अन्त में यह भी निर्णय लिया गया कि भूतपूर्व मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के सारे कार्य कलाप की निदेशक, उद्योग विभाग तथा निदेशक, खादी ग्रामोद्योग कमीशन, राज्य निदेशालय, पटना जाँच करें।

अध्यक्ष।